सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 1313 / सो.आ.नि.–179(II) / 2019
दिनाँकः 23 जनवरी, 2024

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर को छोड़कर),
उत्तर प्रदेश।

विषयः– सोशल आडिट प्रक्रिया का परिपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त जिला/प्रभारी जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स की समीक्षा बैठक दिनांक 11 व 12 जनवरी, 2024 को निदेशक, सोशल आडिट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान सोशल आडिट में पूर्ण पारदर्शिता, प्रतिबद्धता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने हेतु विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विमर्श के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि समय–समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों एवं विभिन्न परिपत्रों में दिए गए निर्देशों का कतिपय जनपदों में पालन नहीं किया जा रहा है, इस कारण सोशल आडिट की प्रक्रिया के सुगम संचालन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना सभी स्तर पर करना पड़ रहा है। इसको संज्ञान में रखते हुए निम्नानुसार पुनः निर्धारित प्रक्रिया का स्पष्टीकरण किया जा रहा है जिससे भविष्य में इन कठिनाइयों का सामना किसी भी स्तर पर न करना पड़े और जनपदों से यह अपेक्षा है कि निर्गत निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:–

(क)– सोशल आडिट कैलेण्डर जारी किए जाने के सम्बन्ध में :–

1– ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट सम्पादित किए जाने हेतु निदेशालय द्वारा सोशल आडिट कैलेण्डर जारी किए जाने के पश्चात् जनपद से रोस्टर जारी किया जाता है किन्तु संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में सोशल आडिट कैलेण्डर का रोस्टर जारी किए जाने की व्यवस्था से DSAC/प्रभारी DSAC को पृथक रखा गया है और जनपद से जारी होने वाले रोस्टर के सम्बन्ध में उनको कोई जानकारी भी नहीं दी जाती है, जो कदापि उचित नहीं है क्योंकि जनपद पर DSAC/प्रभारी DSAC सोशल आडिट कर्मी के रूप में होने के कारण सोशल आडिट रोस्टर उनके माध्यम से जिला विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको जिला विकास अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया जाएगा।

2— संज्ञान में आया है कि अनेक जनपदों में सोशल आडिट कैलेण्डर का रोस्टर जारी करते समय समस्त BSAC एवं BRP को सोशल आडिट में लगाते समय ग्राम पंचायतों के आवंटन में समानता नहीं रखी जाती है। कुछ BSAC एवं BRP को बहुत अधिक संख्या में ग्राम पंचायतों का आवंटन किया जाता है तथा कुछ को कम संख्या में ग्राम पंचायतें दी जाती है, जो उचित नहीं है। सभी BSAC एवं BRP को (अपरिहार्य स्थिति को छोड़ते हुए) बिना किसी पक्षपात के ग्राम पंचायतों का आवंटन किया जाना चाहिए, जिससे सभी की कार्य क्षमता का उपयोग करते हुए व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

(ख)— सम्पन्न सोशल आडिट प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में कार्यवाही :—

1— पूर्व से ही यह निर्देश है कि सोशल आडिट के प्रारम्भ होने की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व एम0आई0एस0 की सूचना विकास खण्डों द्वारा प्रिन्टआउट निकालकर, BSAC/BRP जो भी आडिट के लिए नामित हो, उसे उपलब्ध करा दिया जाए। परन्तु अनेक कारणों से इस प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। यदि ससमय एम0आई0एस0 की सूचना BSAC/BRP को उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो सोशल आडिट टीम को रिपोर्ट का अध्ययन करने हेतु समय नहीं मिल पाता।

2— सोशल आडिट टीम द्वारा निर्धारित 3 दिनों की अवधि का पूर्ण सदुपयोग करते हुए जागरूकता, प्रचार—प्रसार, डोर—2—डोर सत्यापन, परिसम्पत्तियों का वस्तुनिष्ठ एवं तकनीकी सत्यापन करने के उपरान्त संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर ग्राम सभा की खुली बैठक में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत की जानी चाहिये जिसका खुली बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए टीम द्वारा प्रतिवेदन तैयार किये जाने की व्यवस्था है। परन्तु कतिपय प्रकरणों में समय से अभिलेख न मिलने, तीन दिवसों की पूर्ण प्रक्रिया का पालन न करने, सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम रोजगार सेवक व तकनीकी सहायक की उपलब्धता न होने, अभिलेख एवं पत्रावलियॉ समय से प्रस्तुत न करने इत्यादि कारणों से प्रतिवेदन गुणवत्तापरक तैयार नहीं हो पाता जो कि सोशल आडिट की स्वच्छ प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है।

3— कतिपय प्रकरणों में यह संज्ञान में आया है कि BSAC/BRP द्वारा ड्राफ्ट प्रतिवेदन रिक्त प्रारूप पर टीम सदस्यों के हस्ताक्षर करा लिए जाते है और प्रतिवेदन मनमाने ढंग से लिखकर मात्र सोशल आडिट प्रक्रिया की खानापूर्ति की जाती है, जो नितान्त आपत्तिजनक है। सोशल आडिट के ड्राफ्ट प्रतिवेदन को ग्राम सभा की खुली बैठक में पढ़ कर सुनाया जाता है और पाई गई कमियों को सार्वजनिक रूप से बताया जाता है, जिसपर सार्वजनिक रूप से ग्राम सभा की बैठक में विचार—विमर्श के पश्चात् सोशल आडिट प्रतिवेदन एवं कार्यवृत्ति तैयार की जाती है, जिसको उसी दिन पूर्ण कराते हुए उसपर टीम सदस्यों/BSAC/BRP, ग्राम सभा बैठक हेतु नामित अध्यक्ष एवं उपस्थित ग्रामवासियों व कार्य क्रियान्वयन से जुड़े व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। सोशल आडिट सम्पन्न

होने के 15 कार्यदिवसों के अन्दर भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के निर्देश है, जिसका पालन अवश्य किया जाना चाहिए।

4— एक्जिट कॉन्फ्रेन्स (Exit Conference) में चर्चा के उपरान्त मात्र त्रुटियों का सुधार ही अनुमन्य है। ग्राम सभा की बैठक में जो वित्तीय अनियमितता एवं वित्तीय विचलन के प्रकरण प्रकाश में आए है उन्हें हटाए/निक्षेपित किये जाने की व्यवस्था एक्जिट कॉन्फ्रेन्स (Exit Conference) में नहीं है। कतिपय जनपदों द्वारा इस बात पर बल दिया जा रहा है कि विकास खण्ड स्तरीय जनसुनवाई के उपरान्त ग्राम पंचायत बैठक में पाई गई कमियों को MIS पर अपलोड किया जाना चाहिए, जो दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यदि त्रुटिवश वित्तीय अनियमितता एवं वित्तीय विचलन में ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है जो वास्तविकता से परे है तो उसके लिए कार्यदायी संस्था द्वारा ए0टी0आर0 में उसका उल्लेख करते हुए अपनी टिप्पणी अंकित की जा सकती है यदि ए0टी0आर0 की आख्या में किया गया उल्लेख तथ्यात्मक है तो उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु शासनादेश सं0 1641/अडतीस—7—19—324नरेगा/2012टीसी—1 दि0 12—07—2019 एवं शासनादेश सं0 DFA/414788/38-7099(99)/43/2022 दि0 25—02—2023 तथा परिपत्र सं0 908/सो.आ.नि.—3/474(III)/2022 दिनांक 30—12—2022 के अनुसार उस प्रकरण को क्लोज किया जा सकता है।

5— रिपोर्ट अपलोडिंग का उत्तरदायित्व निदेशालय द्वारा DSAC/प्रभारी DSAC को दिया गया है। अतः BSAC/BRP द्वारा सोशल आडिट सम्पन्न होने के पश्चात अधिकतम तीन दिनों में रिपोर्ट DSAC को उपलब्ध करा दिया जाना आवश्यक है। कतिपय जनपदों में इस निर्धारित व्यवस्था का विचलन करते हुए जिला विकास अधिकारी द्वारा स्थानीय व्यवस्था बनाई गई है। यथा—लेखाकार तथा पटल सहायक के पास रिपोर्ट उपलब्ध कराना, यह प्रक्रिया पूर्णतः आपत्तिजनक है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई BSAC/BRP ससमय प्रतिवेदन DSAC को उपलब्ध नहीं कराते है तो आगामी कैलेण्डर जारी होते समय ऐसे BSAC/BRP को सोशल आडिट टीम में नामित करने से वंचित किया जा सकता है।

भारत सरकार की वेबसाइट पर रिपोर्ट अपलोडिंग की पूर्ण जिम्मेदारी DSAC को दी गई है उसे ही आईडी व पासवर्ड भी दिया गया है। किन्तु एक लॉगिन से एक समय में एक ही ग्राम पंचायत की रिपोर्ट अपलोड हो पाती है अतः जिन जनपदों में एक साथ अधिक संख्या में सोशल आडिट सम्पादित होते है ऐसे जनपदों में रिपोर्ट अपलोड किए जाने की अधिक संख्या को देखते हुए जनपद के किसी BSAC का लॉगिन जनरेट करने हेतु नामांकन जनपद स्तर से प्राप्त होने के पश्चात संबंधित BSAC का एक अतिरिक्त लॉगिन निदेशालय से जनरेट किया गया है। अतः DSAC एवं नामित BSAC के लॉगिन से

रिपोर्ट अपलोडिंग का कार्य उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यदि DSAC एवं नामित BSAC पर दबाव डालकर उससे आईडी व पासवर्ड लेकर किसी अन्य से यह कार्य कराया जा रहा है तो यह विधिसम्मत नहीं है क्योंकि सम्बन्धित लॉगिन से अपलोड की गई रिपोर्ट की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उक्त DSAC एवं नामित BSAC की होगी। यदि कोई विशेष परिस्थिति किसी जनपद में है, तो निदेशालय को उक्त प्रकरण संदर्भित करते हुए निराकरण कराया जा सकता है।

यह भी सूच्य है कि अनेक जनपदों में वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों की धनराशि को विलुप्त करते हुए शून्य धनराशि अंकित करने हेतु स्थानीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा दबाव बनाया जाता है, जो कि अनुचित है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 के क्रमशः 820 व 217 प्रकरण प्रकाश में आए है, जिनमें धनराशि शून्य दर्शाई गई है। यह समझ से परे है कि वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है, और धनराशि शून्य है। अनेक MIS पर दर्ज प्रकरणों में वित्तीय अनियमितता का विवरण दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिससे यह संज्ञान में नहीं आता कि उक्त प्रकरण में किस प्रकार की अनियमितता की गई है। DSAC का पूर्ण उत्तरदायित्व है कि MIS अपलोडिंग के समय जिन प्रकरणों में वित्तीय अनियमितता या अन्य कोई कमी है, उनमें तथ्यात्मक विवरण (Issue Description) अवश्य अंकित करें।

(ग)– **भुगतान प्रक्रिया :–**

1– समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अनेक जनपदों में आडिट सम्पन्न होने के पश्चात जनपद में धनराशि उपलब्ध होते हुए भी टीम सदस्यों एवं बी0आर0पी0 को समय से व्यावसायिक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता। अनेक प्रकरणों में लेखाकार की भूमिका पारदर्शी नहीं है, जिसपर जिला विकास अधिकारी द्वारा नियंत्रण किया जाना चाहिए। जिला विकास अधिकारी को इस प्रक्रिया में जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिसमें वित्तीय एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधिकार निहित हैं। उन अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करते हुए, पारदर्शी एवं स्वतन्त्र प्रक्रिया को नेतृत्व प्रदान करना है। अपने अधिकार का प्रयोग करते समय यह संज्ञान में रखना आवश्यक है कि सोशल आडिट योजना का संचालन ही नहीं अपितु महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण के साथ ही अन्य विभागों यथा–श्रम विभाग के उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इत्यादि विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के स्वच्छ एवं पारदर्शी संचालन में जो त्रुटियॉ एवं कमियॉ है उनका निराकरण कराना ही सोशल आडिट का उद्देश्य है। यदि निर्धारित एवं पारदर्शी प्रक्रिया से सोशल आडिट की प्रक्रिया प्रारम्भ से अन्त तक पूर्ण की जाती है तो यह योजनाओं के संचालन में सोशल आडिट एक प्रकार का कवच है। त्रुटि करना एवं त्रुटि होना यह मानव

का स्वभाव है। योजनाओं की वृहत मार्गदर्शिका, नियम, गाइडलाइन्स का परिचालन करने में त्रुटियॉ होना सम्भव है, अतः इन त्रुटियों का निराकरण सोशल आडिट की प्रक्रिया एवं उसके सुचारू व्यवस्था से किया जा सकता है।

2– MIS फीडिंग एवं अन्य मदों की धनराशि का भुगतान :–

अनेक प्रकरणों में यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न मदों की धनराशि का भुगतान करने में लेखाकार के स्तर से अनावश्यक आपत्तियॉ लगाकर भुगतान में विलम्ब किया जाता है।

उदाहरणार्थ– अ– फोटो कॉपी के बिलों पर निर्धारित सीमा से कम धनराशि पर भी GST बिल (Tax Invoice) की मांग किया जाना।

ब– MIS अपलोडिंग का भुगतान DSAC/प्रभारी DSAC को ससमय न किया जाना।

स– फोटोग्राफी का भुगतान ससमय न करना।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जिस वेन्डर से फोटो कॉपी कराया गया है अगर वह वेन्डर (निर्धारित सीमा से कम टर्नओअर होने के कारण) GST पंजीकृत नहीं है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित बिल के आधार पर पर ही भुगतान किया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में GST एक्ट का अध्ययन भी कर लिया जाना उचित होगा। इसी प्रकार MIS अपलोडिंग जैसे–जैसे पूर्ण होती है वैसे वैसे DSAC/प्रभारी DSAC को तत्काल भुगतान उसके खाते में कर दिया जाना चाहिए। सोशल आडिट का प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के उपरान्त सम्बन्धित को यथाशीघ्र फोटोग्राफी की धनराशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। सोशल आडिट का कार्य करने वाले सभी कर्मी/टीम सदस्य एवं बी0आर0पी0 अल्प मानदेय/व्यवसायिक शुल्क भोगी कर्मी है। अतः इनके द्वारा व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) करते हुए यदि समय से भुगतान नहीं किया जाता है तो आगे कार्य करने में उनकी रूचि कम हो जाती है, जिसमें इसका प्रभाव सोशल आडिट की प्रक्रिया पर पड़ता है, साथ ही भुगतान करने वाले की छवि बिना कारण धूमिल होती है।

अनेक प्रकरणों में टीम सदस्यों/BRP के शिकायती पत्र राज्य स्तर पर भी उच्चाधिकारियों को प्राप्त होते है, जो पारदर्शी प्रक्रिया की छवि धूमिल करने वाले है।

3– DSAC/BSAC का मानदेय :–

निदेशालय से यथा सम्भव ससमय DSAC/BSAC के मानदेय की धनराशि जनपदों को उपलब्ध करा दी जाती है परन्तु कतिपय जनपदों में 2–2 माह के मानदेय का भुगतान लम्बित रखा जाता है अथवा सामान्यतः माह के 15 दिनों के पश्चात् ही भुगतान किया जाता है यह

प्रक्रिया अल्प मानदेय भोगी कर्मियों के लिए ठीक नहीं है। DSAC के माध्यम से BSAC की प्रत्येक माह की 26 से 25 तारीख तक की उपस्थिति 25 तारीख को स्वप्रमाणित हस्ताक्षर एवं DSAC द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपस्थिति का विवरण मंगा लिया जाए तथा 26 से 31 तारीख तक की सम्भावित उपस्थिति मानकर मानदेय भुगतान की प्रक्रिया 26 तारीख के पश्चात् प्रारम्भ की जा सकती है जिससे यथासम्भव अगले माह की प्रथम तारीख को मानदेय का भुगतान किया जा सकता है। यदि अगले माह की 26 से 31 तारीख के मध्य कोई कर्मी अनुपस्थित रहता है तो इसका समायोजन अगले माह के मानदेय से कर लिया जाय। यही व्यवस्था जिला विकास अधिकारी द्वारा DSAC के लिए लागू की जायेगी।

जहॉ तक BSAC के पेरोल का प्रश्न है कतिपय जिला विकास अधिकारियों द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों से BSAC का पेरोल प्रमाणित करके मंगाया जाता है यह व्यवस्था पारदर्शी सोशल आडिट के लिए उचित नहीं है। विकास खण्ड कार्यदायी संस्था होने के नाते सोशल आडिट कर्मियों का पेरोल खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से प्रमाणित कराया जाना उचित नहीं है।

BSAC यदि सोशल आडिट करा रहे हैं तो प्रत्येक सोशल आडिट के 3 दिवस वो सम्बन्धित ग्राम पंचायत में उपस्थित रहते है सोशल आडिट की तिथियों के अतिरिक्त विकास खण्ड में निर्धारित स्थान में बैठकर वे प्रतिवेदन तैयार करना एवं अन्य कार्यों का संचालन करते है। अधिकांश समय ये कर्मी फील्ड में ही होते है। ऐसी स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपस्थिति सत्यापन कराना व्यवहारिक भी नहीं है।

(घ)— ATR के अनुरूप कार्यवाही :—

प्रदेश में वर्ष 2022—23 के सोशल आडिट में 9,01,66,547/— धनराशि के कुल 3560 वित्तीय अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में आए है, जिसके सापेक्ष 3,17,62,207/— धनराशि के कुल 2018 प्रकरणों की ATR कार्यदायी संस्था द्वारा अपलोड की गई है। उनमें से 1542 प्रकरण ऐसे दर्शाए गए है जो वसूली योग्य नहीं है जिसकी धनराशि 5,84,04,340/— है। यहॉ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ऐसे प्रकरण जो कार्यदायी संस्था द्वारा वसूली योग्य नहीं बताए गए है उन प्रकरणों को क्लोज करने हेतु शासनादेश सं0 1641/अडतीरा—7—19—324नरेगा/ 2012टीसी—1 दि0 12—07—2019 एवं शासनादेश सं0 DFA/414788/38-7099(99)/43/2022 दि0 25—02—2023 एवं परिपत्र दिनांक 30—12—2023 में प्रक्रिया निर्धारित की गई है यदि कार्यदायी संस्था द्वारा उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो ऐसे प्रकरणों को पुनः संबंधित लॉगिन पर वापस (Back) करने की व्यवस्था है। DSAC/प्रभारी DSAC का उत्तरदायित्व है कि यदि ATR अपलोडिंग के तीन महीने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रकरण निस्तारित नहीं होता है तो DSAC/प्रभारी

DSAC द्वारा उक्त प्रकरण को अपनी लॉगिन आईडी से संबंधित लॉगिन पर वापस (Back) कर दिया जाए।

सोशल आडिट में पाई गई कमियों पर ए0टी0आर0 अपलोड करने का उत्तरदायित्व क्रियान्वयन एजेन्सी का है किन्तु संज्ञान में आया है कि सोशल आडिट में पाई गई कमियों पर ए0टी0आर0 अपलोड करने का कार्य DSAC/BSAC पर दबाव बनाते हुए किये जाने की अपेक्षा की जा रही है, जो कदापि उचित नहीं है। यह कार्य क्रियान्वयन एजेन्सी (कार्यक्रम अधिकारी) की लॉगिन से उनके द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

(च)– प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों की वर्ष में 02 बार आडिट के सम्बन्ध में :–

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में वित्तीय वर्ष में 02 बार (6–6 माह के अन्तराल पर) आडिट कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि निर्धारित समयावधि में समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं की जाती है तो सोशल आडिट कार्य एवं आडिट के पश्चातवर्ती समस्त कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी।

(छ)– कन्टीजेन्सी एवं इंटरनेट मद की धनराशि :–

प्रथम छमाही हेतु उक्त दोनों मदों हेतु धनराशि बिना मांग के निदेशालय द्वारा अवमुक्त कर दी गई है। अनेक जनपदों में यह धनराशि अव्ययित पड़ी है। अतः द्वितीय किस्त की धनराशि की मांग जनपदों द्वारा तभी किया जाए जब इस मद में उपलब्ध धनराशि का 75% व्यय कर लिया जाए।

समस्त मदों में जो भी धनराशि की मांग करनी है वह तत्काल कर दें। गाह फरवरी के बाद किसी प्रकार की धनराशि प्रेषित नहीं की जाएगी।

अतः उपरोक्त निर्देशों के अनुसार सोशल आडिट प्रक्रिया का परिपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शरद कुमार सिंह) 19/1/24
निदेशक

पत्रांक– /सो0आ0नि0–179(II)/2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त जिलाधिकारी, (गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर को छोड़कर), उ0प्र0।
2– सम्बन्धित DSAC/प्रभारी DSAC, उ0प्र0।

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक